

अनुमति-पत्र

सं०/NO 370 वि०

दिनांक ... 12/12/20...


गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल जो घर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि इस भूमि के स्वत्व में शिवा पर मकान को इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा पार्स के प्राधिकृत अधिकारों पर किसी का कोई अस्तर पड़ना अर्थात् यह अनुमति किसी के भित्तिगत या स्वमिल के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखती।

निम्नलिखित प्रलेखनों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/श्री. सुखदेव, गणेश, राज
सुखदेव, श्री. सुखदेव, श्री. सुखदेव, श्री. सुखदेव
 पिता/पति का नाम श्री पत्नी संख्या 174, 175, 176 बी.ए. दिल्ली, दिल्ली
 आई. ए. ए. में नवसे में वर्तित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के विनियम अनुसार अनुसूचित निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

गृह

दिनांक 20



जयपुर अधिकायता (मकान)
 विकास प्रौद्योगिकी, वाराणसी
 वाराणसी विकास प्राधिकरण
 वाराणसी

नोट : 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इन 5 वर्ष आहस्तकृत नहीं बनी तो आवकता प्राप्त उसे गिरताया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि सम्बन्धित समझा जाये। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माण अथवा पुनः निर्माण होगा तो उसके निर्माणकर्ता को अशुभ दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को अव्यवहार्य हटा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली धर बढ़ाकर प्रोत्पन्न जैसे कि पोर्टिको, बरखा, लोहा, लोही, लोप नरो अथवा गुराने निर्माण को तोड़कर उस उपाध्यक्ष से नये निर्माण की स्वीकृति चाहें उसके साथ नवसे में लिखाई भी हो, पूर्ण प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3. मकान निर्माण से यदि नाली सड़क ली गइरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के आसपास जोड़वाई अथवा उसके आधार के कारण हटा ली गई हो) को क्षति पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा सीध कहा हो तो पहिले उस अधिनियम के नवसे में मरम्मत करके पूर्ववत् अवस्था में लिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जाये, गैर कर देना होगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रक्षा के नियम 1970) का उल्लंघन किसी ब्या में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना यहाँ के समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो वह समझ जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नष्ट, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी अनुसूचित के भूमि पर निर्माण हेतु दी गई हो तो तब न भानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्षान प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के स्वत्व में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7. यदि अधिकृत क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दी गई हो तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथापि निर्माण कार्य को विवश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्षान नहीं दिया जायेगा।

शर्त :-

1. पक्ष को स्थल पर सोलर वाटर हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
2. पक्ष को स्थल पर मानक के अनुसार 28 फेड लगाना होगा।
3. आपको मुख्य अग्निशामन अधिकारी के पत्र दि० 03.10.12 द्वारा निर्मित की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
4. शासनादेश सं०-570/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ०ब०) दिनांक 03 फरवरी, 2001 एवं शासनादेश सं०-772/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ०ब०) दिनांक 13 फरवरी, 2001 के अनुसार भूकम्परोधी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना होगा।
5. आपको स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग/उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।
6. रिटर्न फ्लोर के नीचे बेसमेंट का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसी दशा में बेसमेंट की छत भूतल के लेवल में होगी तथा उसमें मैकेनिकल वेन्टीलेशन की व्यवस्था प्राविधान किया जाना अनिवार्य है तथा स्लैब का स्ट्रक्चर डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगी।
7. भवन में उचित सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होगी।
8. भविष्य में यदि स्वामित्व सम्बन्धित कोई विवाद/तथ्य उजागर होता है जो सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी एवं मानचित्र स्वतः निररत समझा जायेगा।
9. आपको मानक के अनुसार सेट वाटर हार्डवेयरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
10. भूकम्परोधी निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग निर्माण की स्ट्रक्चर डिजाइन अभिलेख तथा शासनादेश के अनुक्रम में प्रमाण पत्र भू-स्वामित्व/विल्डर/आर्किटेक्ट तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा।
11. निर्माण के दौरान बेसमेंट खुदाई हेतु सुरक्षा के सभी उपाय किये जायेंगे तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।
12. पक्ष एवं आर्किटेक्ट एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी ही होगा, अन्यथा को अप्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष/आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होगी।
13. भवन निर्माण सामग्री अपने ही भूमि पर रखा जाना होगा।
14. ग्राउण्ड का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है, के सम्बन्ध में मजबा अपने ग्राउण्ड पर रखेगा।
15. बेसमेंट की प्रस्तावना जो बिल्डिंग लाइन से अधिक पर प्रस्तावित है, उसमें स्लैब प्रस्तावित स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगा।
16. शपथ पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

उपपर अधिकाधिक
दिनांक 13/11/2013